उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की कार्य-सूची

सोमवार, 16 माघ, शक संवत् 1945

(05 फरवरी, 2024)

समय : 11:00 बजे पूर्वाह्न

1-वित्त मंत्री, वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक को प्रस्तुत करेंगे।

2-प्रश्न (देखिये नत्थी 'क')।

मुदित प्रतियां बाद में वितरित की जायेंगी।

3-श्री आशुतोष सिन्हा, सभापति, संसदीय एवं सामाजिक सद्भाव समिति, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की संसदीय एवं सामाजिक सद्भाव समिति का वर्ष 2021 से 2024 का प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

4-सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), उत्तर प्रदेश में राज्य भण्डारण निगम में आकस्मिक/संविदा कर्मियों को, जिनकी 31 दिसम्बर, 2001 तक नियुक्त सेवाकाल बाधित दैनिक वेतन भोगी कर्मियों का, विनियमितीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री भीमराव अम्बेडकर, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 10 अगस्त, 2023 को नियम-105 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

5-मुख्य मंत्री, प्रदेश के विकास प्राधिकरण में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में सर्वश्री मुकुल यादव, लाल बिहारी यादव, स्वामी प्रसाद मौर्य, नरेश चन्द्र उत्तम, (डा0) मान सिंह यादव, आशुतोष सिन्हा, मो0 जासमीर अंसारी व श्री शाहनवाज खान, सदस्य, विधान

परिषद् द्वारा दिनांक 11 अगस्त, 2023 को नियम-105 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

6-वित्त मंत्री, प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना (ओ0पी0एस0) को बहाल कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 29 नवम्बर, 2023 को नियम-105 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

7-ऊर्जा मंत्री, जनपद-आगरा के श्री कालीचरण इण्टर कालेज अकबरपुर, श्यामों मोड़ तथा सेंट गोपाल पब्लिक स्कूल नियर पथवारी मन्दिर, श्यामों में बने खेलकूद के मैदान तथा विद्यालयों, भवनों के समीप से बिजली के तार को हटाये जाने के सम्बन्ध में डा0 आकाश अग्रवाल व श्री राज बहादुर सिंह चन्देल, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 22 फरवरी, 2023 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

8-ऊर्जा मंत्री, जनपद-सोनभद्र, राबर्ट्सगंज के विद्युत वितरण विभाग में पिछले 05 वर्षों से कार्यरत अधिशासी अभियन्ता द्वारा लगातार क्षेत्रीय जनता से धन उगाही करते हुए भ्रष्टाचार किये जाने के सम्बन्ध में श्री लाल बिहारी यादव व श्री आशुतोष सिन्हा, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 01 मार्च, 2023 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

9-नगर विकास मंत्री, लखीमपुर खीरी के गोला गोकर्णनाथ नगर पालिका परिषद् क्षेत्र में अधूरे पड़े बहुउद्देशीय प्रेक्षागृह (ऑडिटोरियम) को पूर्ण कराने हेतु शेष धनराशि को अवमुक्ति करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री अनूप कुमार गुप्ता व श्री पदमसेन चौधरी, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 10 अगस्त, 2023 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

10-लोक निर्माण मंत्री, जनपद-अलीगढ़ के अन्तर्गत ग्राम पंचायत-बीकमपुर के मझरा-सिकन्दरपुर भुपरावली में जी0टी0 रोड से कम्पोजिट स्कूल तक के 200 मीटर कच्चे रास्ते का निर्माण/इण्टरलॉकिंग करवाये जाने के सम्बन्ध में डा0 मानवेन्द्र प्रताप सिंह 'गुरू जी' व श्री जितेन्द्र सिंह सेंगर, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 10 अगस्त, 2023 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

11-लोक निर्माण मंत्री, जनपद-हरदोई के सण्डीला इण्डस्ट्रियल एरिया को लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस-वे से जोड़े जाने के सम्बन्ध में इंजी0 अवनीश कुमार सिंह व श्री अंगद कुमार सिंह, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 10 अगस्त, 2023 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

12-लोक निर्माण मंत्री, ग्राम-धूममानिकपुर, जनपद-गौतमबुद्धनगर की सड़क पर से अतिक्रमण हटवाने व सड़क का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री श्रीचन्द शर्मा व डा0 बाबू लाल तिवारी, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 11 अगस्त, 2023 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

13-मुख्य मंत्री, अपर आयुक्त ग्रेड-1 राज्य कर जोन प्रथम/जोन द्वितीय एवं अपर आयुक्त ग्रेड-2 वि0 अनु0 शा0 राज्य कर जोन प्रथम/द्वितीय जोन में कार्यरत राज्य कर विभाग के अधिकारियों द्वारा लगातार किये जा रहे भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में श्री आशुतोष सिन्हा व डा0 मान सिंह यादव, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 28 नवम्बर, 2023 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

14-लोक निर्माण मंत्री, जनपद-फतेहपुर की क्षतिग्रस्त सड़कों का नवनिर्माण/विशेष मरम्मत करवाये जाने के सम्बन्ध, में श्री नरेश चन्द्र उत्तम व श्री शाहनवाज खान, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 29 नवम्बर, 2023 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

15-लोक निर्माण मंत्री, जनपद-मैनपुरी के बसाहल नगर पंचायत से इण्डेन गैस एजेन्सी के सामने सोथरा से एमाहसन नगर के 02 किमी0 जर्जर मार्ग का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री मुकुल यादव व श्री मो0 जासमीर अंसारी, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 30 नवम्बर, 2023 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

16-गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री, जनपद-बरेली के अन्तर्गत किसान चीनी मिल को तत्काल चालू कराकर एवं गन्ना केन्द्र बना कर गरीब किसानों की गन्ना की खरीद आरम्भ करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री कुँवर महराज सिंह व डा0 जयपाल सिंह 'व्यस्त', सदस्य,

विधान परिषद् द्वारा दिनांक 30 नवम्बर, 2023 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

17-लोक निर्माण मंत्री, जनपद-देवरिया के अन्तर्गत ब्लााक-इन्दुपुर-परसोतिया मार्ग पर संगम चौराहे से कटाई तक की सड़क का नवनिर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में डा0 रतन पाल सिंह व श्री बृजेश कुमार सिंह 'प्रिन्सू', सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 30 नवम्बर, 2023 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

18-नगर विकास मंत्री, जनपद-कानपुर के पनकी-दादानगर औद्योगिक क्षेत्र में सीवर लाइन बिछाये जाने के सम्बन्ध में श्री पदमसेन चौधरी व श्री सलिल विश्नोई, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 01 दिसम्बर, 2023 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

19-सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), जनपद-अमरोहा से वर्ष 2020 में सेवानिवृत्त हुये श्री पवन कुमार एवं सहकारी पर्यवेक्षक, रायबरेली से वर्ष 2017 में सेवानिवृत्त हुये श्री देवनाथ अवस्थी (दोनों सेवानिवृत्त कर्मचारियों) का अर्जित अवकाश, नगदीकरण, चौदह माह का अवशेष वेतन तथा ए0सी0पी0 के बकायों एवं देयों का भुगतान करवाये जानें के सम्बन्ध में डा0 जय पाल सिंह 'व्यस्त' व श्री अशोक कटारिया, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 01 दिसम्बर, 2023 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

20-ऊर्जा मंत्री, जनपद-वाराणसी के ग्राम-भिखारीपुर वाया चितईपुर रोड पर स्थित इन्दिरानगर कालोनी में बिजली के खम्बे लगवाये जाने के सम्बन्ध में डा0 मान सिंह यादव व श्री आशुतोष सिन्हा, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 01 दिसम्बर, 2023 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

21-नगर विकास मंत्री, जनपद-मैनपुरी, नगर पंचायत-करहल में वार्ड नम्बर-14 में सिरसागंज रोड से डाक्टर नंदन यादव के घर तक जर्जर सड़क का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री मुकुल यादव व श्री मोहम्मद जासमीर अंसारी, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा

दिनांक 01 दिसम्बर, 2023 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

22-ऊर्जा मंत्री, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 में सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष व पुस्तकालयाध्यक्ष पदों की सेवा शर्तें सेवा विनियमावली उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में श्री भीमराव अम्बेडकर, सदस्य विधान परिषद् द्वारा दिनांक 22 फरवरी, 2023 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

23-लोक निर्माण मंत्री, उत्तर प्रदेश के कार्मिक विभाग द्वारा राज्य के कर्मचारियों/अधिकारियों के लिये वार्षिक स्थाानान्तरण नीति के प्राविधानों में शासन/महानिदेशालय (विभागाध्यक्ष) द्वारा की जा रही अराजकता के सम्बन्ध में डा0 सुधीर गुप्ता, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 08 अगस्त, 2023 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

24-ऊर्जा मंत्री, जनपद-अमेठी में विद्युत विभाग में भ्रष्टाचार व अधिकारियों के सिंडीकेट द्वारा उपभोक्ताओं से वसूली किये जाने के सम्बन्ध में डा0 आकाश अग्रवाल, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 03 मार्च, 2023 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

25-नगर विकास मंत्री, जनपद-उन्नाव के नगर पंचायत-कुरसठ से बांगरमऊ तक लगभग 4-5 कि0मी0 सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मोहसिन रजा, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 10 अगस्त, 2023 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

26-लोक निर्माण मंत्री, जनपद-अमेठी के ब्लाक-अमेठी से गुगवांद कम्बल कारखाने के सामने से मडौली होते हुए ढेगहा हनुमान मन्दिर तक लगभग 05 कि0मी0 सड़क का कार्य अविलम्ब कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गोविन्द नारायण शुक्ल, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 28 नवम्बर, 2023 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

27-लोक निर्माण मंत्री, जनपद-देवरिया के अन्तर्गत देवरिया से बरहज अन्य जिला मार्ग जिसकी लम्बाई 21.65 कि0मी0 तक के सम्पर्क मार्ग का आगणन मंगाकर स्वीकृत कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 रतन पाल सिंह, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 11 अगस्त, 2023 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य देंगे।

28-लोक निर्माण मंत्री, जनपद-कानपुर में अनवरगंज-मंधना रेलवे लाइन को एलीवेटेड ट्रैक में बदलने के सम्बन्ध में श्री सलिल विश्नोई, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 11 अगस्त, 2023 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य देंगे।

29-लोक निर्माण मंत्री, जनपद-कानपुर के अन्तर्गत कानपुर शहर के उत्तरी व दक्षिणी हिस्सों को जोड़ने वाले दो महत्वपूर्ण सेतु दादा नगर तथा गोविन्दपुरी रेलवे उपरिगामी सेतु का जीर्णोद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अरुण पाठक, सदस्य विधान परिषद् द्वारा दिनांक 11 अगस्त, 2023 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य देंगे।

30-नगर विकास मंत्री, जनपद-लखीमपुर खीरी के मोहम्मदी नगर पालिका परिषद् क्षेत्र में सेमिनार, मीटिंग/सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए 1000 व्यक्तियों की क्षमता वाला ऑडिटोरियम बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री अनूप कुमार गुप्ता, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 11 अगस्त, 2023 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य देंगे।

31-लोक निर्माण मंत्री, आउटसोर्स लिफ्ट, लोक निर्माण विभाग विद्युत अनुरक्षण खण्ड-02 जो जवाहर भवन लखनऊ के माध्यम से विधान भवन में लगे कर्मचारियों के वेतन व देयकों को बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 11 अगस्त, 2023 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य देंगे।

32-नगर विकास मंत्री, नगर निगम लखनऊ के सरोजनी नगर द्वितीय वार्ड संख्या-18 में सीवर, सड़क, नालों व पानी की टंकी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री भीमराव अम्बेडकर, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 11 अगस्त, 2023 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य देंगे।

33-वित्त मंत्री, केन्द्र सरकार की भांति उत्तर प्रदेश के विभागों में 01 अप्रैल, 2005 के पूर्व जिन अभ्यर्थियों का चयन हो गया था, किन्तु उन्होंने 01 अप्रैल, 2005 के बाद ज्वाइन किया, ऐसे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में श्री उमेश द्विवेदी,

सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 01 दिसम्बर, 2023 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य देंगे।

34-लोक निर्माण मंत्री, जनपद-आजमगढ़ के बेलईसा से सर्फरूद्दीनपुर तक 900 मीटर का ओवरब्रिज बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री विजय बहादुर पाठक, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 01 दिसम्बर, 2023 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य देंगे।

35-ऊर्जा मंत्री, उ0प्र0 के अनपरा तापीय विद्युत गृह परियोजना में हो रहे भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 सुधीर गुप्ता, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 01 दिसम्बर, 2023 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य देंगे।

36-मुख्य मंत्री, झांसी विकास प्राधिकरण द्वारा करारी में बनाये जा रहे ट्रांसपोर्ट नगर की जमीन के काश्तकारों को उचित मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती रमा निरंजन, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 01 दिसम्बर, 2023 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य देंगे।

37-नगर विकास मंत्री, प्रयागराज रेलवे स्टेशन सिटी साइड गेट नम्बर-01, 02 व 03 से सटी सड़क के लीडर रोड पर लगभग 500 मी0 नाले का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री आशुतोष सिन्हा, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 01 दिसम्बर, 2023 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य देंगे।

38-ऊर्जा मंत्री, उत्तर प्रदेश के विद्युत विभाग में कार्यरत आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को उचित वेतनमान दिये जाने के सम्बन्ध में श्री नरेश चन्द्र उत्तम, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 01 दिसम्बर, 2023 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य देंगे।

39-श्री अनूप कुमार गुप्ता, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत-भिलवल, विकास खण्ड-त्रिवेदीगंज, जनपद-बाराबंकी के निवासियों की ओर से सड़क का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'ख')

40-श्री अनूप कुमार गुप्ता, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत-कोल्हामपुर इमाम, विकास खण्ड-नवाबगंज, तहसील-तरबगंज, जनपद-गोण्डा के निवासियों की ओर से 500 मीटर विद्युत केबल तथा 100 के0वी0 का ट्रांसफार्मर लगवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'ग')

41-श्री पवन कुमार सिंह, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत-महादेव अटरा, विकास खण्डा-हरगांव, जनपद-सीतापुर के निवासियों की ओर से सड़क का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'घ')

42-श्री पवन कुमार सिंह, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम-भगवंतापुर, ग्राम पंचायत-भदेसिया, विकास खण्ड-बिसवां, जनपद-सीतापुर के निवासियों की ओर से विद्युतीकरण का कार्य करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'ङ')

43-श्री उमेश द्विवेदी, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम-गौरा उत्तरपूरा, ब्लाक-मेंहनगर, जनपद-आजमगढ़ के निवासियों की ओर से काली माँ मन्दिर की चाहरदीवारी का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'च')

44-डा0 प्रज्ञा त्रिपाठी, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा प्रस्तुत तथा श्रीमती निर्मला पासवान, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा समर्थित निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार जारी (द्वितीय दिवस)।

''यह सदन मा0 राज्यपाल के अभिभाषण के लिये जो उन्होंने राज्य विधान मण्डल के एक साथ समवेत् दोनों सदनों के समक्ष दिनांक 02 फरवरी, 2024 को दिया है, कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है।''

(प्रस्ताव में संशोधनों के लिए देखिये नत्थी 'छ')

लखनऊ :
सोमवार, 16 माघ, शक संवत् 1945
(05 फरवरी, 2024)

आज्ञा से,
डा0 राजेश सिंह,
प्रमुख सचिव।

प्रश्न संख्या	सरकार को भेजने/ प्राप्त होने की तिथि
*1	19-1-2024
*2	19-1-2024
*3	19-1-2024
*4	19-1-2024
*5	19-1-2024
*6	19-1-2024
*7	19-1-2024
*8	19-1-2024
*9	19-1-2024
*10	19-1-2024
*11	21-1-2024
*12	21-1-2024
*13	21-1-2024
*14	21-1-2024
*15	21-1-2024
*16	21-1-2024
*17	21-1-2024
*18	21-1-2024
*19	21-1-2024
*20	21-1-2024
*21	21-1-2024
*22	21-1-2024
*23	21-1-2024
*24	24-1-2024
*25	24-1-2024

प्रश्न संख्या	सरकार को भेजने/ प्राप्त होने की तिथि
अतारांकित प्रश्न	
1	19-1-2024
2	19-1-2024
3	19-1-2024
4	19-1-2024
5	19-1-2024
6	19-1-2024
7	19-1-2024
8	19-1-2024
9	19-1-2024
10	19-1-2024
11	19-1-2024
12	19-1-2024
13	19-1-2024
14	19-1-2024
15	19-1-2024
16	19-1-2024
17	19-1-2024
18	19-1-2024
19	19-1-2024
20	19-1-2024
21	19-1-2024

नत्थी 'क'

सोमवार, दिनांक 05 फरवरी, सन् 2024 ई0

तारांकित प्रश्न

पुरानी पेंशन बहाल किये जाने हेतु दिनांक 01 नवम्बर, 2023 से 01 दिसम्बर, 2023 के मध्य, प्रदेश के विभिन्न कर्मचारी संघों के पदाधिकारियों द्वारा मुख्य मंत्री/अपर मुख्य सचिव, वित्त को सम्बोधित पत्र के सम्बन्ध में

डा0 मान सिंह यादव

1

*1-(क) क्या वित्त मंत्री बतायेंगे कि पुरानी पेंशन बहाल किये जाने हेतु दिनांक 01 नवम्बर, 2023 से 01 दिसम्बर, 2023 के मध्य, प्रदेश के विभिन्न कर्मचारी संघों के पदाधिकारियों द्वारा मुख्य मंत्री/अपर मुख्य सचिव, वित्त को सम्बोधित कितने पत्र प्राप्त हुए हैं ?

वित्त मंत्री

(ख) क्या पुरानी पेंशन बहाल किये जाने हेतु वर्तमान में सरकार के पास कोई कार्य योजना है ?

(ग) क्या पुरानी पेंशन बहाल न किये जाने के कारण प्रदेश के कार्मिकों में सरकार के प्रति भारी रोष भी व्याप्त है ?

(घ) यदि हाँ, तो क्या पुरानी पेंशन बहाल करायेंगे ?

कार्मिक लोक शिकायत व पेंशन मंत्रालय के पेंशन विभाग के कार्यालय-ज्ञाप 57/05/2021 P&PW (B), दिनांक 03 मार्च, 2023 के अनुसरण में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) राजाज्ञा, दिनांक 28 मार्च, 2005 से पूर्व उपलब्ध रिक्तियों हेतु जारी भर्ती विज्ञापन के सापेक्ष चयनित शिक्षकों/कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन चुनने का अवसर दिये जाने हेतु शासनादेश जारी कराये जाने के सम्बन्ध में

श्री आशुतोष सिन्हा
2

*2-(क) क्या वित्त मंत्री बतायेंगे कि कार्मिक लोक शिकायत व पेंशन मंत्रालय के पेंशन विभाग के कार्यालय-ज्ञाप 57/05/2021 P&PW (B), दिनांक 03 मार्च, 2023 के अनुसरण में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) राजाज्ञा, दिनांक 28 मार्च, 2005 से पूर्व उपलब्ध रिक्तियों हेतु जारी भर्ती विज्ञापन के सापेक्ष चयनित शिक्षकों/कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन चुनने का अवसर दिए जाने हेतु शासनादेश जारी करायेंगे ?

वित्त मंत्री

(ख) यदि हाँ, तो कब तक ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

जनपद-अयोध्या के दर्शन नगर में पंजाब नेशनल बैंक से कालेराम सिंह के घर तक लगभग 100 मी0 रास्ते में सी0सी0 रोड तथा नाले का निर्माण कराने के सम्बन्ध में

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य
3

*3-(क) क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि जनपद-अयोध्या के दर्शन नगर में पंजाब नेशनल बैंक से कालेराम सिंह के घर तक लगभग 100 मीटर का रास्ता कच्चा है ?

नगर विकास मंत्री

(ख) यदि हाँ, तो उक्त रास्ते पर सी0सी0 रोड तथा नाले का निर्माण करायेंगे ?

(ग) यदि हाँ, तो कब तक ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

लखनऊ पूर्वी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत यूनिटी सिटी, शंकरपुरवा वार्ड प्रथम में पानी की टंकी के पास आर0सी0सी0/इण्टरलॉकिंग व नाली का निर्माण कराने के सम्बन्ध में

श्री अशोक अग्रवाल 4 — नगर विकास मंत्री

*4-(क) क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि लखनऊ पूर्वी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत यूनिटी सिटी, शंकरपुरवा वार्ड प्रथम में पानी की टंकी के पास आर0सी0सी0/इण्टरलॉकिंग व नाली निर्माण किये जाने विषयक आपको व प्रमुख सचिव, नगर विकास को सम्बोधित डा0 नीरज बोरा, विधायक, 172-लखनऊ, उत्तर प्रदेश का पत्र दिनांक 09 अगस्त, 2023 को प्राप्त हुआ है ?

(ख) यदि हाँ, तो क्या आर0सी0सी0/इण्टरलॉकिंग व नाली का निर्माण करा दिया गया है ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

अधिशाषी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड नगरीय खण्ड, सिद्धार्थनगर में वर्ष 2021 से दिनांक 01 जनवरी, 2024 तक सरकार द्वारा चलाये गये अभियान के अन्तर्गत विद्युत कनेक्शन दिये जाने तथा उन विद्युत कनेक्शनों पर लगी केबिलों के सम्बन्ध में

श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी 5 — ऊर्जा मंत्री

*5-(क) क्या ऊर्जा मंत्री बतायेंगे कि अधिशाषी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड नगरीय खण्ड, सिद्धार्थनगर में वर्ष 2021 से दिनांक 01 जनवरी, 2024 तक सरकार द्वारा चलाये गये अभियान के अन्तर्गत कितने विद्युत कनेक्शन दिये गये तथा उन विद्युत कनेक्शनों पर विभाग द्वारा कितनी केबिलें लगायी गयी हैं ?

(ख) क्या उक्त कार्य में अनियमिततायें की गई हैं ?

(ग) यदि हाँ, तो क्या उक्त प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराकर जाँच आख्या सदन की मेज पर रखेंगे ?

जनपद-उन्नाव में नगर पालिका व नगर पंचायत कार्यालयों में समूह (ग) व (घ) श्रेणी के कुल कितने कर्मचारी दिनांक 31-12-2023 तक ए0सी0पी0 का लाभ पाने की पात्रता श्रेणी के सम्बन्ध में

श्री राज बहादुर सिंह चन्देल 6 — नगर विकास मंत्री

*6-(क) क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि जनपद-उन्नाव में नगर पालिका व नगर पंचायत कार्यालयों में समूह (ग) व (घ) श्रेणी के कुल कितने कर्मचारी दिनांक 31-12-2023 तक ए0सी0पी0 का लाभ पाने की पात्रता श्रेणी में आये हैं ?

(ख) उक्त समस्त कर्मचारियों को ए0सी0पी0 का लाभ कब तक प्रदान करायेंगे ?

प्रदेश में स्मार्ट सिटी योजना के अन्तर्गत चिन्हित किये गये शहरों में अब तक कितने शहरों का कार्य पूर्ण होने के सम्बन्ध में

श्री शाहनवाज खान 7 — नगर विकास मंत्री

*7-(क) क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश में स्मार्ट सिटी योजना के अन्तर्गत चिन्हित किये गये शहरों में अब तक कितने शहरों का कार्य पूर्ण हो चुका है ?

(ख) क्या सहारनपुर स्मार्ट सिटी हेतु चिन्हित किया गया था, अब तक जो कार्य किये गये उसके लिए कोई मॉनिटरिंग कमेटी बनी हुई है ?

(ग) यदि हाँ, तो उसकी अन्तिम रिपोर्ट सदन की मेज पर रखेंगे ?

(घ) सहारनपुर स्मार्ट सिटी का कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा ?

डा0 आकाश अग्रवाल 8

*8-[अन्तरित]

जनपद-लखनऊ के हंसखेड़ा के मुन्नुखेड़ा में मुदित के मकान से राजेश सिंह के मकान तक के मार्ग का डामरीकरण कराने के सम्बन्ध में

श्री रविशंकर सिंह पप्पू भैया 9 — नगर विकास मंत्री

*9-(क) क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि जनपद-लखनऊ के हंसखेड़ा के मुन्नुखेड़ा में मुदित के मकान से राजेश सिंह के मकान तक की दूरी पर स्थित मार्ग जो लगभग 150 मीटर है, अत्यन्त जर्जर अवस्था में है ?

(ख) यदि हाँ, तो आवागमन में हो रही विषम कठिनाइयों के दृष्टिगत उक्त जर्जर मार्ग का डामरीकरण करायेंगे ?

(ग) यदि हाँ, तो कब तक ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

जनपद-मैनपुरी के गांव में 25 प्रतिशत लोगों द्वारा बिजली का बिल जमा करने के बावजूद विद्युत कटौती किये जाने के सम्बन्ध में

श्री मुकुल यादव 10 — ऊर्जा मंत्री

*10-(क) क्या ऊर्जा मंत्री बतायेंगे कि जनपद मैनपुरी के किसी गांव मे 25 प्रतिशत लोगों द्वारा बिजली बिल जमा किया गया है, तो भी पूर्ण विद्युत की कटौती करा दी जायेगी ?

(ख) यदि हाँ, तो जिन लोगों द्वारा बिजली बिल जमा किया गया है, उनको विद्युत आपूर्ति के लिये क्या सुविधायें दी जायेंगी ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड नगरीय खण्ड, खोरावार, जनपद-गोरखपुर के क्षेत्रान्तर्गत नगर पंचायतों एवं नगर पालिका परिषद् में लगे मीटरों के अनुसार बिजली के बिल की नई दरों के अनुसार धनराशि वसूल किये जाने के सम्बन्ध में

श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी 11 — ऊर्जा मंत्री

*11-(क) क्या ऊर्जा मंत्री बतायेंगे कि अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड नगरीय खण्ड, खोरावार, जनपद-गोरखपुर के क्षेत्रान्तर्गत कितनी नगर पंचायतें एवं नगर पालिका परिषद् सम्मिलित हैं ?

(ख) उक्त पंचायतों एवं परिषदों के अन्तर्गत दिनांक 01 जुलाई, 2021 से 01 जनवरी, 2024 तक कितने पुराने मीटर बदले गये और उन मीटरों की रीडिंग यूनिट कितनी-कितनी थी ?

(ग) क्या उक्त अवधि में बदले गये पुराने मीटरों में अंकित यूनिटें लगाये गये नये मीटरों में फीड करके उक्त यूनिटों के अनुसार धनराशि की वसूली की गई ?

(घ) यदि हाँ, तो कितनी धनराशि की वसूली की गयी ?

(ङ) क्या उक्त अवधि में ओ0टी0एस0 योजना में अधिशासी अभियन्ताओं की आई0डी0 से अतिरिक्त ब्याज भी माफ किया गया ?

(च) यदि हाँ, तो क्या उपरोक्त तथ्यों की उच्च्व स्तरीय जाँच कराकर जाँच आख्या सदन की मेज पर रखेंगे ?

जनपद उन्नाव में नगर पालिका परिषदों व नगर पंचायतों में पदोन्नति श्रेणी के समूह ग व घ में दिनांक 31-12-2023 तक रिक्त पदों के सापेक्ष पात्र कर्मचारियों की पदोन्नति कराये जाने के सम्बन्ध में

श्री राज बहादुर सिंह चन्देल 12 — नगर विकास मंत्री

*12-(क) क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि जनपद उन्नाव में नगर पालिका परिषदों व नगर पंचायतों में पदोन्नति श्रेणी के समूह ग व घ में कुल कितने पद दिनांक 31-12-2023 तक रिक्त हैं ?

(ख) उक्त पदों का नगर पालिका परिषद् व नगर पंचायतवार विवरण क्या है ?

	(ग) पदोन्नति श्रेणी के रिक्त उक्त पदों पर पात्र कर्मचारियों की पदोन्नति कब तक करायेंगे ?	
	आकांक्षी जनपद-सिद्धार्थनगर में गन्ना किसानों की आय बढ़ाने हेतु प्रभावित योजना के सम्बन्ध में	
श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी 13	*13-(क) क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बतायेंगे कि आकांक्षी जनपद सिद्धार्थनगर में गन्ना किसानों की आय बढ़ाने हेतु जनपद में कौन-कौन सी योजनाएं प्रभावित हैं ? (ख) क्या नेपाल की सीमा से सटे होने एवं नदियों की बहुलता के कारण यहां की जमीन उपजाऊ हैं और गन्ना की फसल हेतु उपयुक्त होती हैं ? (ग) यदि हां, तो क्या उक्त आकांक्षी जनपद में कोई चीनी मिल लगाने पर विचार करेंगे ?	गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री
	विश्वनाथ मंदिर क्षेत्र को कॉरिडोर में बदला गया, तब उसकी विद्युत आपूर्ति गोदौलिया पावर हाउस को दिये जाने के सम्बन्ध में	
श्री आशुतोष सिन्हा 14	*14-(क) क्या ऊर्जा मंत्री बतायेंगे कि जब विश्वनाथ मंदिर क्षेत्र को कॉरिडोर में बदला गया, तब उसकी विद्युत आपूर्ति गोदौलिया पावर हाउस से कॉरिडोर को दी गई है, जो पहले 3 एच0टी0 अण्डरग्राउण्ड केबिल से विद्युत आपूर्ति होती थी ? (ख) उक्त की निविदा किस योजना में और कब हुई ? (ग) उक्त की निविदा के सापेक्ष कितनी धनराशि का भुगतान हुआ ? (घ) क्या उक्त निविदा वर्तमान में भी क्रियाशील है ? (ङ) यदि यह वर्तमान में क्रियाशील नहीं है, तो कितने केबिल ध्वस्त/पंचर हैं, जिसके द्वारा विश्वनाथ कॉरिडोर/स्मार्ट सिटी को विद्युत आपूर्ति की जाती थी ?	ऊर्जा मंत्री
श्री अशोक अग्रवाल 15	*15-[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]	
श्री राज बहादुर सिंह चन्देल 16	*16-[माननीय न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण निरस्त]	

ग्राम-बेढ़ौना, परगना/विकास खण्ड-काकोरी, जनपद-लखनऊ के छूटे हुए ग्राम-बेढ़ौना के निर्मित/अर्द्धनिर्मित भवनों का विद्युतीकरण कराने के सम्बन्ध में

श्री अशोक अग्रवाल 17 — ऊर्जा मंत्री

*17-(क) क्या ऊर्जा मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश के प्रत्येक गाँव में शत-प्रतिशत विद्युतीकरण कराते हुए उनके मजरों एवं छुटपुट घरों का भी विद्युतीकरण कराये जाने की योजना है ?

(ख) यदि हाँ, तो क्या प्रदेश की राजधानी लखनऊ की तहसील सदर के विकास खण्ड-काकोरी की ग्राम सभा बेढ़ौना की विद्युत आपूर्ति फतेहगंज पावर हाउस, काकोरी, लखनऊ से संचालित है ?

(ग) यदि हाँ, तो क्या उक्त ग्राम की किसान पथ/आउटर रिंग रोड के दोनों तरफ आबादी है, बेढ़ौना के कुछ घर जो रिंग रोड के दूसरी तरफ आते हैं गाटा संख्या-244 सहित आस-पास के अन्य गाटा संख्या में कई वर्षों से निर्मित भवन जो विद्युत सुविधा से वंचित हैं, का विद्युतीकरण कराये जाने हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 28 फरवरी, 2023 व डा0 अमित सिंह चौहान, विधायक का पत्र दिनांक 21 फरवरी, 2023 ऊर्जा मंत्री को सम्बोधित ग्राम बेढ़ौना के छूटे घरों का विद्युतीकरण कराये जाने विषयक था प्राप्त हुआ है ?

(घ) यदि हाँ, तो पत्र के मुख्य बिन्दु क्या थे तथा जनहित में जनप्रतिनिधियों की अनुशंसा/संस्तुति पर ग्राम-बेढ़ौना, परगना/विकास खण्ड-काकोरी, जनपद-लखनऊ के छूटे हुए ग्राम-बेढ़ौना के निर्मित/अर्द्धनिर्मित भवनों का विद्युतीकरण सरकार की महत्वाकाँक्षी जन-कल्याणकारी योजना में सम्मिलित कर कराया जायेगा ?

(ङ) यदि हाँ, तो कब तक ?

निदेशक (तकनीकि) म0वि0वि0 नि0लि0, लखनऊ की डायरी सं0-ए8821/प्रनि/मविविनिलि/शिविर, दिनांक 01-11-2023 जो बिजली के टेढ़े पोल को ठीक कराने के सम्बन्ध में

डा0 मान सिंह यादव 18 — ऊर्जा मंत्री

*18-(क) क्या ऊर्जा मंत्री बतायेंगे कि निदेशक (तकनीकि) म0वि0वि0नि0लि0, लखनऊ की डायरी सं0-ए 8821/प्रनि/मविविनिलि/शिविर, दिनांक 01-11-2023 जो बिजली के टेढ़े पोल को ठीक कराने के सम्बन्ध में था प्राप्त हुआ है ?

(ख) यदि हाँ, तो उक्त टेढ़े पोल को ठीक करा दिया गया है तथा उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

(ग) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

सहारनपुर में मास्टर प्लान 2031 के ड्राफ्ट के सम्बन्ध में

श्री शाहनवाज खान 19 — मुख्य मंत्री

*19-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि सहारनपुर में मास्टर प्लान 2031 का ड्राफ्ट तैयार होकर आपत्ति सुनवाई फरवरी, 2022 में हुई और लगभग पौने दो साल बाद इसको शासन में भेजा गया ?

(ख) पौने दो साल तक ये फाइल सहारनपुर में क्यों लम्बित रही ?

(ग) ग्राम मेघछप्पर जोकि घंटाघर से मात्र 02 किमी0 अम्बाला रोड पर स्थित है, जिससे मुख्य मार्ग पर जहाँ पिछले कई दशकों से घनी आबादी है, जिसको पार्क व क्रीड़ा स्थल एवं ट्रांसपोर्ट नगर दर्शा दिया गया है ?

(घ) क्या इसमें बने हजारों मकान, शोरूम व कारखाने ध्वस्त किये जायेंगे ?

(ङ) क्या ड्राफ्ट बनाने से पूर्व भौतिक स्थिति का जायजा लेकर रहने वाले जन-मानस से ध्वस्तीकरण की सहमति बनाई गयी ?

(च) जिन जगहों पर पिछले 100 वर्षों से बाग है उन्हें रिहायशी व कामर्शियल किस आधार पर दिखाया गया तथा क्या उसके लिए NGT/पर्यावरण विभाग, NOC से ली गयी ?

(छ) जिन जगहों पर सड़क, पार्क, ग्रीन बेल्ट, क्रीड़ा स्थल, सार्वजनिक सुविधायें आदि दर्शायी गयी हैं, उसमें भूमि मालिकों से अधिग्रहण की सहमति बनाई गयी ?

(ज) क्या मास्टर प्लान में आपत्तिकर्ताओं को अपनी भूमि चिन्हित करने के लिये खसरा नम्बर लिखे गये हैं ?

(झ) क्या जो निर्माण मास्टर प्लान 2001 व 2021 के भू-उपयोग के अनुरूप नहीं हुए उसको नियमानुसार भौतिक स्थिति के अनुसार बदला गया या उन लाखों निर्माणों को ध्वस्त करने का प्रावधान भी किया गया ?

ग्राम-चौराडीह, ब्लाक-चायल पावर हाउस मनौरी, जनपद-कौशाम्बी में विद्युत पोल न होने की स्थिति में मार्च, 2024 के पहले उक्त स्थान पर विद्युत पोल लगवाने के सम्बन्ध में

डा0 मान सिंह यादव 20 — ऊर्जा मंत्री

*20-(क) क्या ऊर्जा मंत्री बतायेंगे कि ग्राम चौराडीह ब्लाक-चायल पावर हाउस मनौरी, जनपद-कौशाम्बी में विद्युत पोल न होने के कारण मोहल्लेवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है ?

(ख) क्या उक्त स्थान पर विद्युत पोल लगाये जाने हेतु स्थानीय प्रशासन द्वारा सर्वे इत्यादि कराके समस्त औपचारिकताएं भी पूर्ण कर ली गयी हैं ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

(घ) क्या मार्च, 2024 के पहले उक्त स्थान पर विद्युत पोल लगवायेंगे ?

जनपद-आजमगढ़ के ग्राम सभा सकिया-वकिया, पावर स्टेशन मेहनाजपुर, तहसील-लालगंज में स्थापित ट्रांसफार्मर पर अत्यधिक लोड होने के कारण उक्त ट्रांसफार्मर के स्थान पर 63 के0वी0ए0 का ट्रांसफार्मर स्थापित करवाने के सम्बन्ध में

श्री रविशंकर सिंह पप्पू भैया 21 — ऊर्जा मंत्री

*21-(क) क्या ऊर्जा मंत्री बतायेंगे कि जनपद आजमगढ़ को ग्राम सभा सकिया-वकिया, पावर स्टेशन मेहनाजपुर, तहसील-लालगंज में स्थापित ट्रांसफार्मर पर अत्यधिक लोड होने के कारण उक्त ट्रांसफार्मर आये दिन खराब हो जाता है ?

(ख) यदि हाँ, तो क्या ग्रामों को सुचारु रूप से विद्युत आपूर्ति के लिये कृत संकल्प द्वारा उक्त समस्या के निदान हेतु उक्त ग्राम सभा में 63 के0वी0ए0 का ट्रांसफार्मर स्थापित करवायेंगे ?

(ग) यदि हाँ, तो कब तक ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

नियंत्रक व महालेखापरीक्षक सी0 ए0 जी0 की वर्ष 2023 में पेश रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में हुई अनियमिततायें और दोषियों के विरुद्ध कृत कार्यवाही के सम्बन्ध में

श्री आशुतोष सिन्हा 22 — ऊर्जा मंत्री

*22-(क) क्या ऊर्जा मंत्री बतायेंगे कि नियंत्रक व महालेखापरीक्षक सी0ए0जी0 की वर्ष 2023 में पेश रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में ऊर्जा विभाग में कुल कितने रुपयों की अनियमिततायें पायी गयीं और इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा कितने दोषियों पर क्या कार्यवाही हुई है ?

(ख) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

विद्युत विभाग में प्राइवेट कर्मचारियों (लाइन मैन, एस0एस0ओ0) को सेवा कार्य करते हुये 10 वर्ष से अधिक समय होने के उपरान्त उन कर्मचारियों को सरकारी नौकरी में रखे जाने के सम्बन्ध में

श्री मुकुल यादव 23 — ऊर्जा मंत्री

*23-(क) क्या ऊर्जा मंत्री बतायेंगे कि विद्युत विभाग में प्राइवेट कर्मचारियों (लाइन मैन, एस0एस0ओ0) को सेवा कार्य करते हुए 10 वर्ष से अधिक समय हो गया है ?

(ख) यदि हां, तो उन कर्मचारियों को सरकारी नौकरी में कब तक रखा जायेगा ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भीमराव अम्बेडकर 24

*24-[अन्तरित]

स्मारक समिति के कर्मचारियों द्वारा मांगी गयी मांगों पर विचार कर निर्णय लिये जाने के सम्बन्ध में

श्री भीमराव अम्बेडकर 25 — मुख्य मंत्री

*25-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि स्मारक समिति के कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों के लिये ज्ञापन देकर धरना-प्रदर्शन किया गया है ?

(ख) यदि हाँ, तो उनकी विभिन्न मांगों में पुनरीक्षण वेतनमान, स्थायीकरण व पदोन्नति (ए0सी0पी0 का लाभ) सवेतन चिकित्सावकाश, मृतक आश्रितों को सेवा प्रदान करना, दीपावली बोनस तथा सी0पी0एफ0 खाता खोलने हेतु आपको सम्बोधित पत्र प्राप्त हुआ है ?

(ग) यदि हाँ, तो स्मारक समिति के कर्मचारियों द्वारा मांगी गयी मांगों पर सरकार द्वारा विचार कर निर्णय लिया गया है ?

(घ) यदि हाँ, तो लिए गये निर्णय की प्रति सदन की मेज पर रखेंगे ?

(ङ) यदि नहीं, तो क्यों ?

अतारांकित प्रश्न

श्री हंसराज विश्वकर्मा 1 — नगर विकास मंत्री

1-(क) क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि प्रयागराज जिले के दारागंज मुहल्ले में कोतवाली के पास भगवती प्रसाद मण्डी में दूषित जल की निकासी हेतु नाली काफी पुरानी और क्षमता से न्यून हो चुकी है, जिससे वहाँ के निवासियों को काफी परेशानी हो रही है ?

(ख) यदि हाँ, तो उक्त नाली का विस्तार तथा जीर्णोद्धार करायेंगे ?

(ग) यदि हाँ, तो कब तक ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हंसराज विश्वकर्मा
2

2-(क) क्या ऊर्जा मंत्री बतायेंगे कि जनपद-लखनऊ में सुल्तानपुर रोड स्थित माढ़रमऊ कला में पशु चिकित्सालय के पास लगा विद्युत पोल पुराना एवं क्षमता से अधिक हो गया है ?

(ख) क्या उपरोक्त विद्युत पोल को बदलवा कर उक्त स्थान पर दो विद्युत पोल लगवायेंगे ?

(ग) यदि हाँ, तो कब तक ?

ऊर्जा मंत्री

श्री हंसराज विश्वकर्मा
3

3-(क) क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि रहीम नगर कुकरैल बंधा फैजाबाद रोड, लखनऊ के पास की दुकानें आवंटन आदेश संख्या-690/रेंट/08, दिनांक 13 मार्च, 2009 द्वारा किन-किन लोगों को आवंटित की गयी थीं ?

(ख) नगर निगम, लखनऊ द्वारा उक्त दुकानें जुलाई, 2020 में किन कारणों से नष्ट करा दी गई थीं ?

(ग) क्या उपरोक्त नष्ट करायी गई दुकानों के बदले लखनऊ जिले में अन्यत्र वेंडिंग हेतु दुकानें आवंटित करायेंगे ?

(घ) यदि हाँ, तो कब तक ?

(ङ) यदि नहीं, तो क्यों ?

नगर विकास मंत्री

श्री पवन कुमार सिंह
4

4-(क) क्या लोक निर्माण मंत्री बतायेंगे कि जनपद सीतापुर के विकास खण्ड-सिधौली में अलाईपुर जंक्शन से ग्राम अनवरपुर डामर रोड से ग्राम-अलाईपुर तक की दूरी जो लगभग 300 मी0 है, का मार्ग अत्यन्त खराब है, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है ?

(ख) यदि हाँ, तो उक्त समस्या के समाधान हेतु उक्त मार्ग पर इण्टरलॉकिंग का कार्य करायेंगे ?

(ग) यदि हाँ, तो कब तक ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

लोक निर्माण राज्य मंत्री

डा0 मान सिंह यादव
5

5-(क) क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि ग्राम-सलेमपुर पतौरा, ब्लाक-काकोरी, जनपद-लखनऊ में नौमी लाल यादव के घर से जितेन्द्र यादव के घर तक की रोड पर

नगर विकास मंत्री

जलभराव होने के कारण ग्रामीणों/स्कूली बच्चों को आने-जाने में अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ?

(ख) यदि हाँ, तो कब तक उक्त स्थान पर जलभराव की समस्या से ग्रामीणों को राहत प्रदान करायेंगे ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 मान सिंह यादव 6	6-(क) क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि न्यू दुर्गापुरी कालोनी वादरखेड़ा बुद्धेश्वर मोहान रोड, लखनऊ में विजय यादव की मार्केट से रानी चक्की/साहू चक्की तक नाले का निर्माण कराये जाने हेतु नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ ने पत्रांक-478/एन0ए0(एस)06, दिनांक 28 दिसम्बर, 2023 के माध्यम से विशेष सचिव, मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन को अवगत कराया है ? (ख) यदि हाँ, तो कब तक उक्त स्थान पर नाले का निर्माण करायेंगे ? (ग) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?	नगर विकास मंत्री
श्री अशोक अग्रवाल 7	7-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि गोमतीनगर विस्तार योजना, लखनऊ में सरयू अपार्टमेन्ट के बगल में भवनों के सामने जो बिजली आपूर्ति का पोल (खम्भा) लगा हुआ है वह पूर्णतया टेढ़ा हो गया है ? (ख) यदि हाँ, तो क्या किसी अप्रिय दुर्घटना को देखते हुए जनहित में उक्त पोल को कब तक शिफ्ट करा दिया जायेगा ? (ग) यदि नहीं, तो क्यों ? (घ) यदि हाँ, तो उक्त पोल कब तक ठीक करायेंगे ?	मुख्य मंत्री
श्री अशोक अग्रवाल 8	8-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि राजधानी लखनऊ के चारों ओर से निकले आउटर रिंग रोड/किसान पथ के दोनों ओर 500 मीटर किसानों की खाली पड़ी भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव विचाराधीन है ? (ख) यदि हाँ, तो क्या जनहित में जिन किसानों की भूमि का अधिग्रहण किया जाना है उसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा अधिग्रहण/पुनर्वास कल्याणकारी नीति बनाई गई है ? (ग) यदि हाँ, तो उक्त अधिग्रहण/पुनर्वास नीति क्या है, तथा किसानों की अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि का पुनर्वास/मुआवजा किस दर से दिया जाना प्रस्तावित है ?	मुख्य मंत्री

(घ) क्या राजधानी लखनऊ में आउटर रिंग रोड/किसान पथ के दोनों तरफ 500 मीटर की परिधि में जो गांव/आवासीय भवन/भू-खण्ड आते हैं तथा भू-उपयोग आवासीय में परिवर्तित है, सरकार द्वारा ऐसी आवासीय भूमि का सर्वे कराकर किसानों/जनता को बेघर होने से बचाने के लिए ऐसी भूमि को अधिग्रहण से मुक्त रखा जायेगा ?

(ङ) यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 मान सिंह यादव 9 — नगर विकास मंत्री

9-(क) क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि जनपद-लखनऊ के जे0बी0 गार्डेन कालोनी में पूर्वीदीन खेड़ा पारा में सुशीला शुक्ला के भवन संख्या-545क/पी0जी0-के0एन0-1202 के पास चौराहे पर लगे बिजली के पोल पर एक स्ट्रीट लाइट होने से अंधेरा बना रहता है, जिससे रात में वहाँ के निवासियों को आने-जाने में कठिनाई होती है ?

(ख) यदि हाँ, तो उक्त पोल पर उक्त के अतिरिक्त स्ट्रीट लाइट लगवायेंगे ?

(ग) यदि हाँ, तो कब तक ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 मान सिंह यादव 10 — ऊर्जा मंत्री

10-(क) क्या ऊर्जा मंत्री बतायेंगे कि जनपद लखनऊ के जे0बी0 गार्डेन कालोनी में पूर्वीदीन खेड़ा पारा में मकान संख्या-545क/पी0जी0-के0एन0-1202 के पास लगे बिजली के पोल से दूर-दूर तक कई कनेक्शन दिये गये हैं ?

(ख) यदि हाँ, तो उक्त पोल से आए दिन बिजली के तार पास-पास होने से शार्ट सर्किट हुआ करता है ?

(ग) यदि हाँ, तो उक्त पोल पर बन्च वाले तार लगवाकर इकट्ठा कनेक्शन अलग-अलग करायेंगे ?

(घ) यदि हाँ, तो कब तक ?

(ङ) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री पवन कुमार सिंह 11 — लोक निर्माण राज्य मंत्री

11-(क) क्या लोक निर्माण मंत्री बतायेंगे कि जनपद सीतापुर, विकास खण्ड-खैराबाद की ग्राम सभा पहाड़पुर में जैनपुर गांव से कुम्हारनपुरवा होते हुए शिवपुरी तक दूरी लगभग 01 किमी0 मार्ग बहुत ही खराब अवस्था में है, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है ?

(ख) यदि हाँ, तो उक्त समस्या के निदान हेतु मार्ग का निर्माण करायेंगे ?

(ग) यदि हाँ, तो कब तक ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री पवन कुमार सिंह 12	12-(क) क्या लोक निर्माण मंत्री बतायेंगे कि जनपद सीतापुर, विकास खण्ड-खैराबाद की ग्राम सभा-पहाड़पुर में महेशपुर गांव से सागरपुरवा होते हुए गौरइया बार्डर तक दूरी लगभग 800 मी0 मार्ग बहुत ही खराव अवस्था में है, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है ? (ख) यदि हाँ, तो उक्त समस्या के निदान हेतु मार्ग का निर्माण करायेंगे ? (ग) यदि हाँ, तो कब तक ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	लोक निर्माण राज्य मंत्री
श्री अशोक अग्रवाल 13	13-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि गोमतीनगर विस्तार योजना, लखनऊ में एल0डी0ए0 द्वारा सरयू अपार्टमेन्ट के मेन गेट से लेकर पैकफेड भवन तक 18 मीटर रोड पर सीवर की मेन लाइन (ट्रंक) आज तक बन्द पड़ी है ? (ख) यदि हाँ, तो उक्त सीवर की मेन लाइन (ट्रंक) को कब तक खोल कर आगे 45 मीटर रोड की मेन सीवर लाइन से जोड़ दिया जायेगा ? (ग) क्या मेन सीवर लाइन (ट्रंक) बन्द पड़े होने के कारण सेक्टर-1 में सरयू अपार्टमेन्ट के अगल-बगल के घरों में सीवर की गन्दगी घुस जाती है ? (घ) यदि हाँ, तो जनहित में उक्त मेन सीवर लाइन (ट्रंक) को कब तक ठीक करा दिया जायेगा ?	मुख्य मंत्री
डा0 मान सिंह यादव 14	14-(क) क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि ग्राम सलेमपुर पतौरा, ब्लाक-काकोरी, जनपद-लखनऊ में नौमी लाल यादव के घर से प्राथमिक विद्यालय के पास स्थित पुलिया तक समुचित रोड व नाली की व्यवस्था न होने के कारण ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ता है ? (ख) यदि हाँ, तो कब तक उक्त स्थान पर रोड व नाली का निर्माण करायेंगे ? (ग) यदि नहीं, तो क्यों ?	नगर विकास मंत्री
डा0 मान सिंह यादव 15	15-[अन्तरित]	

श्री आशुतोष सिन्हा
16

16-(क) क्या ऊर्जा मंत्री बतायेंगे कि ग्राम-भावापुर तहसील-पट्टी, जनपद-प्रतापगढ़ में ट्रांसफार्मर न होने के कारण ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ता है ?

(ख) यदि हाँ, तो कब तक उक्त स्थल पर एक नया ट्रांसफार्मर लगवा दिया जायेगा ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

ऊर्जा मंत्री

श्री आशुतोष सिन्हा
17

17-(क) क्या लोक निर्माण मंत्री बतायेंगे कि ग्राम खेतापट्टी, ब्लाक-फूलपुर, जनपद-आजमगढ़ में संग्रामपुर से खेतापट्टी-लीला तक लगभग 02 किमी0 डामर रोड जर्जर होने के कारण ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ता है ?

(ख) यदि हाँ, तो कब तक उक्त जर्जर डामर रोड की मरम्मत/डामरीकरण करायेंगे ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

लोक निर्माण राज्य मंत्री

श्री आशुतोष सिन्हा
18

18-(क) क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि सेक्टर-5 E, वृन्दावन कालोनी काशीराम योजना, तेलीबाग, लखनऊ में ब्लाक संख्या-31 एवं 32 की सड़क पर लगे बिजली के पोल संख्या-35, 36 व 40 पर स्ट्रीट लाइटें न होने से अंधेरा बना रहता है, जिससे रात में वहाँ के निवासियों को आने-जाने में कठिनाई होती है ?

(ख) यदि हाँ, तो उक्त पोलों पर स्ट्रीट लाइटें लगवायेंगे ?

(ग) यदि हाँ, तो कब तक ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

नगर विकास मंत्री

डा0 मान सिंह यादव
19

19-(क) क्या ऊर्जा मंत्री बतायेंगे कि जनपद लखनऊ की ग्राम सभा वशीगढ़ी भटखेरवा तिराहे के निवासियों को जो विद्युत कनेक्शन दिये गये हैं उनकी विद्युत आपूर्ति बाँस-बल्लियों पर तार खींच कर दी जा रही है ?

(ख) क्या बाँस-बल्लियों में तार लगा कर ट्रान्सफार्मर से विद्युत आपूर्ति कराने के कारण वहाँ के निवासियों में जनहानि की सम्भावनायें बनी रहती हैं ?

(ग) यदि हाँ, तो क्या उक्त स्थानों पर विद्युत पोल लगवा कर विद्युत आपूर्ति करायेंगे ?

(घ) यदि हाँ, तो कब तक ?

(ङ) यदि नहीं, तो क्यों ?

ऊर्जा मंत्री

श्री पवन कुमार सिंह 20	20-(क) क्या लोक निर्माण मंत्री बतायेंगे कि जनपद सीतापुर, विकास खण्ड-खैराबाद के ग्राम सभा-कैथाबारी में कैथाबारी से कपूर ढाबा तक दूरी जो लगभग 500 मी0 है, का मार्ग बहुत ही खराब अवस्था में है, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है ? (ख) यदि हाँ, तो उक्त समस्या के निदान हेतु मार्ग का निर्माण करायेंगे ? (ग) यदि हाँ, तो कब तक ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	लोक निर्माण राज्य मंत्री
श्री पवन कुमार सिंह 21	21-(क) क्या लोक निर्माण मंत्री बतायेंगे कि जनपद सीतापुर, विकास खण्ड-खैराबाद की ग्राम सभा-पहाड़पुर में आश्रम पद्धति स्कूल रहीमाबाद से शिवपुरी तक की दूरी जो लगभग 1.5 किमी0 है, का मार्ग बहुत ही खराब अवस्था में है, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है ? (ख) यदि हाँ, तो उक्त समस्या के निदान हेतु मार्ग का निर्माण करायेंगे ? (ग) यदि हाँ, तो कब तक ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	लोक निर्माण राज्य मंत्री

नत्थी 'ख'

याचिका की प्रतिलिपि
(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

मा0 सदन,
विधान परिषद्,
उ0प्र0, लखनऊ।

महोदय,

निवेदन है कि जनपद-बाराबंकी के अन्तर्गत ग्राम पंचायत भिलवल में डामर रोड से नाले तक चकमार्ग जर्जर एवं जीर्ण-शीर्ण अवस्था में होने के कारण किसानों एवं वहां की जनता को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। जनहित में उक्त चकमार्ग का निर्माण कराये जाने हेतु हम सब पिछले कई वर्षों से प्रयासरत हैं। किन्तु इस ओर कोई सफलता नहीं मिल सकी।

अतः मा0 सदन से आग्रह है कि जनपद-बाराबंकी के अन्तर्गत ग्राम पंचायत भिलवल, में डामर रोड से नाले तक चकमार्ग का निर्माण कराये जाने हेतु याचिका समिति को सन्दर्भित करने की कृपा करें। इस हेतु जिला स्तर पर धनराशि भी उपलब्ध है।

प्रार्थीगण,
05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर,
ग्राम पंचायत-भिलवल,
विकास खण्ड-त्रिवेदीगंज,
बाराबंकी।

नत्थी 'ग'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,

विधान परिषद्, उ0प्र0, लखनऊ।

महोदय,

निवेदन है कि ग्राम पंचायत कोल्हामपुर इमाम विकास खण्ड नवाबगंज, तहसील-तरबगंज, जनपद-गोण्डा के मलीयन पुरवा और कोल्हामपुर में बिजली व्यवस्था की गम्भीर समस्या है। पिछले 10 सालों से उक्त मजरे की बिजली व्यवस्था खराब होने से बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उक्त 500 मीटर केबल एवं 100 के0वी0 का ट्रांसफार्मर लगवाने/उच्चीकृत कराये जाने हेतु हम सब पिछले कई वर्षों से प्रयासरत है। किन्तु इस ओर कोई सफलता नहीं मिल सकी।

अतः मा0 सदन से आग्रह है कि ग्राम पंचायत कोल्हामपुर इमाम विकास खण्ड नवाबगंज, तहसील-तरबगंज, जनपद-गोण्डा के मलीयन पुरवा और कोल्हामपुर में 500 मीटर केबल एवं 100 के0वी0 का ट्रांसफार्मर लगवाने/उच्चीकृत कराये जाने हेतु याचिका समिति को सन्दर्भित करने की कृपा करें। इस हेतु जिला स्तर पर धनराशि भी उपलब्ध है।

प्रार्थीगण,
05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर,
नगर पंचायत कोल्हामपुर इमाम,
विकास खण्ड नवाबगंज,
तहसील तरबगंज,
जनपद गोण्डा।

नत्थी 'घ'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषय :-इण्टरलॉकिंग रोड निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपको अवगत कराना है कि विकास खण्ड हरगांव, जनपद सीतापुर के ग्राम पंचायत-महादेवअटरा में जगदीश पुत्र जानकी के घर के सामने से लेकर बाजार होते हुये बाबू गुप्ता के मकान तक

200 मी0 रोड काफी खराब है, मार्ग पर कीचड़ व कचरा रहता है। क्योंकि यह रास्ता आम रास्ता है जिस पर गांव व क्षेत्र के लोगों का बाजार व मंदिर बराबर आवागमन होता है। मार्ग खराब होने से लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जनपद स्तर पर प्रयास किये जा चुके हैं। किन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

अतः हम प्रार्थीगण माननीय सदन से विनम्र अनुरोध करते हैं कि ग्राम पंचायत-महादेवअटरा में जगदीश पुत्र जानकी के घर के सामने से लेकर बाजार होते हुये बाबू गुप्ता के मकान तक 200 मी0 इण्टरलॉकिंग रोड निर्माण कराये जाने की कृपा करें। जनपद स्तर पर धन उपलब्ध है।

प्रार्थीगण,
05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर,
ग्राम सभा-महादेवअटरा,
विकास खण्ड-हरगांव,
जनपद-सीतापुर।

नत्थी 'ङ'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषय :-जनपद सीतापुर, विकास खण्ड बिसवां के ग्राम भगवंतापुर में विद्युतीकरण करवाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपको अवगत कराना है कि विकास खण्ड बिसवां, जनपद सीतापुर में ग्राम पंचायत भदेसिया राजस्व ग्राम भगवंतापुर जो अभी तक विद्युतीकरण से वंचित है, जहां पर 1000 की आबादी है। आज के समय में भी यह आबादी बिजली सम्बन्धी सुविधाओं से वंचित है। बिना बिजली के बच्चों को पढ़ने-लिखने में आज के युग में भी डिबरी का सहारा लेना पड़ रहा है। उक्त गांव में बिजली लाने हेतु हम ग्रामवासियों ने जनपद स्तर पर काफी प्रयास किये गये हैं किन्तु गांव का विद्युतीकरण अभी भी नहीं हो पाया है।

अतः हम प्रार्थीगण माननीय सदन से विनम्र अनुरोध करते हैं कि बच्चों के भविष्य के दृष्टिगत ग्राम भगवंतापुर में विद्युतीकरण करवाने की कृपा करें। जनपद स्तर पर धन उपलब्ध है।

प्रार्थीगण,
05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर,
ग्राम सभा- भगवंतापुर,
विकास खण्ड-बिसवां,
जनपद-सीतापुर।

नत्थी 'च'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषय :-काली मॉ मन्दिर में चारदीवारी का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

हम सभी प्रार्थीगण जनपद-आजमगढ़, ब्लॉक-मेंहनगर, ग्राम गौरा उत्तर पूरा के मूल निवासी है। काली मॉ मन्दिर में चारदीवारी का निर्माण कराया जाना जनहित में नितांत आवश्यक है। इस सम्बन्ध में जिला स्तर पर कई बार प्रयास करने के पश्चात् भी कार्य नहीं हुआ। जबकि जिला स्तर पर धन उपलब्ध है।

अतः हम सब प्रार्थीगण माननीय सदन से प्रार्थना करते हैं कि जनपद-आजमगढ़ में काली मॉ मन्दिर में चारदीवारी का निर्माण कराया जाना जनहित एवं लोक महत्व का है, सदन की याचिका समिति के माध्यम से कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,
05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर,
ग्राम-गौरा उत्तर पूरा,
विकास खण्ड-मेंहनगर,
जनपद-आजमगढ़।

नत्थी ‘छ’

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का प्रस्ताव
1	श्री लाल बिहारी यादव, नेता समाजवादी पार्टी	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :- “किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :- 1-1993 से 2000 तक तदर्थ शिक्षकों को विनियमितीकरण के सम्बन्ध में, 2-शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने के सम्बन्ध में, 3-माध्यमिक वित्त विहीन शिक्षकों को सरकार द्वारा मानदेय देने के सम्बन्ध में, 4-मान्यता के नयी शर्तों के लागू होने की तिथि के पूर्व मान्यता के आवेदन को पुरानी मान्यता शर्तों में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में, 5-कानून व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने के सम्बन्ध में, 6-प्रदेश में निरन्तर बढ़ रहे बलात्कार, डकैती, चोरी व लूट, हत्या, जातीय हिंसा आदि को रोकने हेतु किसी ठोस नीति के सम्बन्ध में, 7-महिलाओं के यौन शोषण, उत्पीड़न व अत्याचार रोकने की ठोस कार्य योजना के सम्बन्ध में, 8-महिलाओं की सुरक्षा हेतु किसी ठोस नीति के सम्बन्ध में, 9-महिलाओं और युवतियों के लिये बेहतर जीवन और स्वास्थ्य सम्बन्धी सुदृढ़ योजना के सम्बन्ध में, 10-निरन्तर बढ़ रहे साइबर क्राइम की रोकथाम के सम्बन्ध में, 11-दिन-प्रतिदिन बढ़ती महंगाई की रोकथाम के सम्बन्ध में, 12-किसानों को खाद और बीज क्रय में छूट दिये जाने के सम्बन्ध में, 13-किसानों के लिये सिंचाई मुफ्त करने के सम्बन्ध में,

14-सिंचाई हेतु किसानों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,

15-किसानों की कृषक उपज का बेहतर मूल्य उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,

16-किसानों को खाद, बीज व पानी की उपलब्धता समयबद्ध सुनिश्चित कराने के सम्बन्ध में,

17-गन्ना किसानों के गन्ना की खरीद शत-प्रतिशत सुनिश्चित कराने तथा घटतौली, बिचौलिये व दलाल पर अंकुश लगाने के सम्बन्ध में,

18-छुट्टा पशुओं से फसल की सुरक्षा व्यवस्था करने के सम्बन्ध में,

19-बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार उपलब्ध कराने की किसी ठोस नीति के सम्बन्ध में,

20-सरकारी विभागों में रिक्त पदों को भरने हेतु किसी ठोस नीति के सम्बन्ध में,

21-निरन्तर बढ़ रहे पर्यावरण प्रदूषण को रोकने हेतु ठोस नीति के सम्बन्ध में,

22-चिकित्सालयों में आवश्यक सुविधाओं एवं दवाओं का अभाव तथा ग्रामीण अंचलों के अधिकांश चिकित्सालयों में रिक्त पदों पर नियुक्तियों के सम्बन्ध में,

23-नकली दवाओं की रोकथाम के सम्बन्ध में, तथा

24-बुनकरों को सस्ती एवं फिक्स दर पर विद्युत दिये जाने एवं सस्ती दर पर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में।''

2 सर्वश्री नरेश चन्द्र उत्तम, मुकुल यादव, राजेन्द्र चौधरी, स्वामी प्रसाद मौर्य, मान सिंह यादव, जासमीर अंसारी, आशुतोष सिन्हा व श्री शाहनवाज खान।

महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय।

''किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित पर चर्चा नहीं की है :-

1-बिगड़ी कानून व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त किये जाने तथा प्रदेश में हो रही हत्या, अपहरण, डकैती, लूट व बलात्कार में लगातार हो रही वृद्धि को रोके जाने के सम्बन्ध में,

2-प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में,

3-बिजली की खराब व्यवस्था को सुधारने व विद्युत उत्पादन में बढ़ोत्तरी तथा बढ़ी हुई विद्युत दरों को कम किये जाने के सम्बन्ध में,

4-महिलाओं के यौन शोषण, उत्पीड़न व अत्याचार को रोकने के सम्बन्ध में,

5-प्रदेश में रुके विकास कार्य को प्रारम्भ करने के उपाय के सम्बन्ध में,

6-प्रदेश की 17 जातियों को अनुसूचित जाति के अनुरूप सुविधायें दिये जाने के सम्बन्ध में,

7-पूर्ववर्ती सरकार की भाँति जिनके पास रहने को मकान नहीं है, उन्हें गरीब आवास योजना के तहत पक्के मकान मुफ्त में दिये जाने के सम्बन्ध में,

8-सरकार द्वारा नये धान, गेहूं खरीद केन्द्र नहीं खोले जाने एवं खरीद केन्द्रों पर हो रही धांधली के सम्बन्ध में,

9-शिक्षा का स्तर सुधारने के सम्बन्ध में,

10-पूर्ववर्ती सरकार द्वारा गरीब 55 लाख महिलाओं को समाजवादी पेंशन पुनः दिये जाने के सम्बन्ध में,

11-प्रदेश के बुनकरों के पावरलूम उद्योग को सुधारने हेतु नियमित विद्युत आपूर्ति और बुनकरों को किसानों की भाँति फ्लैट रेट पर विद्युत दिये जाने के सम्बन्ध में,

12-ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों की सिंचाई हेतु 24 घण्टे की विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने के सम्बन्ध में,

13-चीनी मिलें समय से चलाये जाने के सम्बन्ध में,

14-प्रदेश में पेयजल समस्या के निराकरण के सम्बन्ध में,

15-छात्र-छात्राओं के लिए लैपटाप योजना को पुनः चालू किये जाने के सम्बन्ध में,

16-श्रमिकों के परिवारों को मुफ्त दवा तथा मुफ्त शिक्षा का प्राविधान न किये जाने के सम्बन्ध में,

17-प्रदेश सरकार द्वारा की जा रही विभिन्न मदों में फिजूलखर्ची रोके जाने के सम्बन्ध में,

18-दिव्यागों को शिक्षा एवं सामाजिक सुरक्षा दिये जाने के सम्बन्ध में,

19-प्रदेश को प्रदूषण मुक्त बनाये जाने के सम्बन्ध में,

20-प्रदेश में जातिवार जनगणना कराये जाने के सम्बन्ध में,

21-प्रदेश के जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा को रोके जाने के सम्बन्ध में,

22-प्रदेश की जर्जर सड़कों पर गड्ढामुक्ति के नाम पर सरकारी धन की लूट के सम्बन्ध में,

23-प्रदेश के गन्ना किसानों के बकाये भुगतान के सम्बन्ध में,

24-गन्ना किसानों का भुगतान न होने पर गन्ना किसानों द्वारा आत्महत्या किये जाने के सम्बन्ध में,

25-प्रदेश के बेरोजगार उर्दू मोअल्लिम डिग्री धारकों को रोजगार देने के सम्बन्ध में,

26-गन्ना क्रय अधिनियम का घोर उल्लंघन एवं माफियाओं द्वारा गन्ना किसानों के शोषण के सम्बन्ध में,

27-प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार अथवा बेरोजगारी भत्ता दिये जाने की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में,

28-प्रदेश के अधिकारियों द्वारा सामान्य शिष्टाचार एवं परम्पराओं का अनुपालन कराये जाने के सम्बन्ध में,

29-पूरे प्रदेश में बिजली के बिलों में फर्जी बढ़ोत्तरी दिखा कर शोषण बन्द किये जाने के सम्बन्ध में,

30-ग्रामीण क्षेत्रों तथा नगरीय क्षेत्रों में विधायकों की संस्तुति पर हैण्डपम्प लगाये जाने के सम्बन्ध में,

31-बिजली लगने (करन्ट से) हुयी मृत्यु होने पर पीड़ित परिवार को कम से कम दस लाख रुपये दिये जाने के सम्बन्ध में,

32-प्रदेश में बिक रही नकली दवाइयों की रोकथाम के सम्बन्ध मे,

33-भारतीय जनता पार्टी के विधायकों, कार्यकर्ताओं द्वारा खुलेआम अराजकता फैलाने एवं धर्म के आधार पर आतंक का माहौल पैदा करने एवं धन की अवैध वसूली पर प्रभावी नियंत्रण किये जाने के सम्बन्ध में,

34-प्रदेश के अधिवक्ताओं को भत्ता दिये जाने तथा अधिवक्ताओं के कल्याण हेतु बार कौंसिल उ0प्र0 को सरकार द्वारा बजट में कमी किये जाने के सम्बन्ध में,

35-आवारा पशुओं द्वारा मारे गये व्यक्तियों के परिवारों को दस लाख रुपये आर्थिक सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में,

36-दुग्ध विकास विभाग द्वारा दुग्ध उत्पादकों का बकाया पैसे का भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में,

37-किसानों को सिचांई हेतु मुफ्त बिजली उपलबध कराये जाने के सम्बन्ध में,

38-पिछड़े वर्गों को संविधान प्रदत्त आरक्षण पूरा किये जाने के सम्बन्ध में,

39-अल्पसंख्यक वर्ग व पिछड़े वर्ग के छात्रों की रुकी हुयी छात्रवृत्ति को प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में,

40-गन्ना किसानों के गन्ना की खरीद शत-प्रतिशत सुनिश्चित कराने तथा घटतौली, बिचौलिये व दलालों पर अंकुश लगाने के सम्बन्ध में,

41-राज्य कर्मचारियों को अवकाश नकदीकरण की सुविधा बहाल किए जाने के सम्बन्ध में तथा दैनिक वेतन कर्मियों को नियमित किये जाने के सम्बन्ध में,

42-राज्य कर्मचारियों को कोविड-19 के कारण बन्द किये गये भत्ते आदि को पुनः चालू किये जाने के सम्बन्ध में,

43-प्रदेश में नहर की सफाई तथा सिचांई व्यवस्था दुरुस्त करने के सम्बन्ध में,

44-समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर राजनैतिक द्वेष भावना से लगाये जा रहे फर्जी मुकदमें पर रोकथाम लगाये जाने के सम्बन्ध में,

45-स्थानान्तरण उद्योग के सम्बन्ध में,

46-पिछली सरकार द्वारा विभिन्न नदियों पर स्वीकृत पुलों तथा विभिन्न मार्गों पर स्वीकृत फ्लाईओवर का निर्माण कार्य पूरा कराने के सम्बन्ध में,

47-प्रदेश में धान एवं गेहूं खरीद में हो रही अनियमिताओं को दूर किये जाने के सम्बन्ध में,

48-प्रदेश के सभी प्रमुख उद्योगों का प्रदेश से पलायन रोके जाने के सम्बन्ध में,

49-फलों व सब्जी एवं दुधारू पशुओं के आक्सीटोसिन इंजेक्शन व इसके फार्मूले से तैयार किसी भी प्रकार के इंजेक्शन पर पाबन्दी लगाये जाने के सम्बन्ध में,

50-प्रदेश की अनियंत्रित यातायात व्यवस्था को नियंत्रित करते हुए चुस्त-दुरुस्त किये जाने के सम्बन्ध में,

51-प्रदेश के गरीब लड़कियों की शादी के अनुदान के सम्बन्ध में कुछ नही कहा गया है,

52-बाल मजदूरी व बंधुआ मजदूरी को दूर किये जाने के सम्बन्ध में,

53-प्रदेश में रासायनिक खाद विशेष रूप से डी0ए0पी0 एवं यूरिया के अभाव एवं कालाबाजारी के सम्बन्ध में,

54-सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने हेतु कानून बनाये जाने के सम्बन्ध में,

55–व्यापारियों को सेवा एवं माल कर से उत्पन्न परेशानी को दूर किये जाने के सम्बन्ध में,

56–पिछड़े वर्ग हेतु क्रीमीलेयर आय सीमा पिछली सरकार में किये गये दस लाख रुपये तक किये जाने के सम्बन्ध में,

57–प्रदेश सरकार की तुष्टीकरण नीति से सामाजिक टकराव एवं दुराव के सम्बन्ध में,

58–किन्नर समाज कल्याण के बारे में,

59–क्षेत्र पंचायत सदस्यों एवं जिला पंचायत सदस्यों को वित्तीय अधिकार दिये जाने के सम्बन्ध में,

60–एक हजार मदरसों एवं एक हजार संस्कृत विद्यालयों को अनुदान में लिये जाने के सम्बन्ध में,

61–मत्स्य पालन हेतु अनाधिकृत रूप से कब्जा हुए तालाबों से अवैध कब्जा मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में,

62–किसानों को पराली (धान–गन्ना) जलाये जाने पर उत्पीड़न के सम्बन्ध में,

63–भारतीय संविधान प्रदत्त आरक्षण नीति के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में,

64–पिछले वर्ष विधान मण्डल द्वारा सपारित बजट को अब तक न खर्च कर पाने के सम्बन्ध में, तथा

65–बी0पी0एल0 कार्ड धारकों को आवश्यकतानुसार मुफ्त में खाद्यान्न उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

3 श्री भीम राव अम्बेडकर प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाए :-

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल जी द्वारा अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय का कोई उल्लेख नहीं किया गया है :-

1–उत्तर प्रदेश में अप्रैल, 2005 के बाद नियुक्त कर्मचारियों व शिक्षकों को पुरानी पेंशन दिये जाने के सम्बन्ध में,

2–उत्तर प्रदेश में गिरती हुई कानून व्यवस्था के नियन्त्रण के सम्बन्ध में,

3–प्रदेश में बिजली की दरों में बेतहाशा की जा रही वृद्धि को कम किये जाने के सम्बन्ध में,

4–प्रदेश को बिजली कटौती से मुक्त करते हुए 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में,

5-प्रदेश के किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य प्रदान करने हेतु राज्य परामर्शी समिति स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में,

6-प्रदेश के किसानों की उपज को बढ़ावा देने हेतु उन्हें प्रसंस्कृत व हाईब्रिड किस्म के बीजों की सब्सिडी समय पर उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में,

7-सरकारी अस्पतालों में दवाओं का अभाव है, उसका समाधान किये जाने के सम्बन्ध में,

8-प्रदेश के किसानों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में,

9-लोकतान्त्रिक ढंग से प्रदर्शन एवं अनशन कर रहे प्रदर्शनकारियों पर संगीन अपराधों में मुकदमें दर्ज करके जेल भेजे जाने के सम्बन्ध में,

10-प्रदेश में एन्टी भू-माफिया के नाम पर गरीबों को बेघर करने से रोके जाने के सम्बन्ध में,

11-बढ़ते बालात्कार की घटनाओं एवं महिलाओं के उत्पीड़न को रोके जाने के सम्बन्ध में,

12-किसानों का सम्पूर्ण कर्जा माफ करने के सम्बन्ध में,

13-एम0एस0पी0 के अनुसार किसानों के उत्पाद क्रय सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में,

14-दलितों, पिछड़ों एवं अल्पसंख्यकों के ऊपर हो रहे अत्यचार को रोके जाने के सम्बन्ध में,

15-डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना को प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में,

16-मा0 श्री कांशीराम शहरी आवास योजना के सम्बन्ध में,

17-गन्ना की कीमतों में बढ़ोत्तरी किये जाने के सम्बन्ध में,

18-गन्ना मूल्य के बकाये के सम्पूर्ण भुगतान के सम्बन्ध में,

19-किसानों के धान एवं गेहूं खरीद में हुई अनियमितता एवं भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में,

20-बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दिलाये जाने के सम्बन्ध में,

21-माध्यमिक शिक्षा के उन्नयन के सम्बन्ध में,

22-प्रदेश में भंयकर पेयजल की समस्या के निदान के सम्बन्ध में,

23-प्रदेश में नौजवानों के खेल-कूद की सुविधा को बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में,

24-गरीबों को आवास देने के सम्बन्ध में,

25-पशुधन विकास हेतु किसानों को उन्नत किस्म के दुधारू पशु क्रय करने हेतु ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में,

26-प्रदेश में निरन्तर बढ़ रहे पर्यावरण प्रदूषण को रोकने हेतु ठोस नीति के सम्बन्ध में,

27-प्रदेश के ग्रामीण चिकित्सालयों में चिकित्सकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में,

28-अग्नि से पीड़ित व्यक्तियों को मकान उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,

29-जाति के आधार पर किये जा रहे भेद-भाव को रोके जाने के सम्बन्ध में,

30-खाद्य वितरण प्रणाली में हो रही अनियमितता को रोके जाने के सम्बन्ध में,

31-महामाया बालिका आशीर्वाद योजना को पुनः प्रारम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में,

32-प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 5 करोड़ की लागत से चयन किये जाने वाली सड़कों में विपक्ष के सम्मानित सदस्यों का प्रस्ताव नहीं लिए जाने के सम्बन्ध में,

33-किसानों को खाद, बीज व पानी उपलब्धता समयबद्ध सुनिश्चित कराने के सम्बन्ध में,

34-किसानों को खाद्य एवं बीज क्रय में छूट दिये जाने के सम्बन्ध में,

35-ऊसर तथा बंजर भूमि के सुधार के सम्बन्ध में योजना लागू करने के सम्बन्ध में,

36-प्रदेश की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ी जाति के छात्रों को छात्र वृत्ति एवं शुल्क की प्रतिपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में,

37-आये दिन पेट्रोल, डीजल के बढ़ाये जा रहे दामों पर से राज्य सरकार द्वारा लिये जा रहे टैक्स को समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में,

38-बढ़ी हुई गैस के दाम पर राज्य सरकार द्वारा ली जा रही टैक्स को हटाये जाने के सम्बन्ध में,

39-राज्य कर्मचारियों को अवकाश नगदीकरण की सुविधा बहाल किये जाने के सम्बन्ध में,

40-प्रदेश में नहर की सफाई तथा सिंचाई व्यवस्था दुरूस्त करने के सम्बन्ध में,

41-प्रदेश के सभी राजमार्गों व ग्रामीण मुख्य मार्गों को गड्ढ़ामुक्त किये जाने के सम्बन्ध में,

42-प्रदेश में नकली दवाइयों की रोक-थाम के सम्बन्ध में,

43-प्रदेश में शराब को पूरी तरह प्रतिबन्धित किये जाने के सम्बन्ध में,

44-प्रदेश के श्रमिकों की मजदूरी की दर बढ़ाये जाने के लिए मजदूरी सलाहकार बोर्ड का गठन किये जाने के सम्बन्ध में,

45-मजदूरों व छोटे कारोबारियों द्वारा लिये गये सम्पूर्ण कर्जे को माफ करने के सम्बन्ध में,

46-प्रदेश में सरकारी डाक बंगलों की देख-रेख कर उन्हें व्यवस्थित किये जाने के सम्बन्ध में,

47-प्रदेश के मुख्य शहरों व चौराहों पर भिक्षाटन करने वाले लोगों को सम्मानजनक जीवकोपार्जन देने के सम्बन्ध में,

48-रायबरेली के अनुसूचित जाति छात्रावास का जीर्णोद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में,

49-प्रदेश के शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में,

50-प्रदेश में सफाई कर्मियों की गटर साफ करने के दौरान हो रही मौतों को रोकने व उचित मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में,

51-कृषि महाविद्यालय हरदोई में शिक्षा सत्र प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में,

52-लखीमपुर खीरी में भूमिहीन लोगों को दिये गये भूमि के पट्टों को संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज कराने के सम्बन्ध में,

53-भर्थना, जनपद-इटावा में बाईपास रोड बनवाये जाने के सम्बन्ध में,

54-पंचनद इटावा को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किये जाने के सम्बन्ध में,

55-महेवा, जनपद-इटावा को नगर पंचायत बनाये जाने के सम्बन्ध में,

56-इकदिल, जनपद-इटावा में नया विकास खण्ड बनाये जाने के सम्बन्ध में,

57-अग्नि एवं बाढ़ पीड़ित व्यक्तियों को शत-प्रतिशत आवास उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में,

58-औरैया, दिबियापुर में औधोगिक कारीडोर को विकसित करने के सम्बन्ध में,

59–औरैया में उच्च शिक्षा हेतु विश्वविद्यालय का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में, तथा

60–प्रदेश में भारत रत्न बाबा साहब डा0 भीम राव अम्बेडकर पार्कों में किये अवैध सरकारी व गैर सरकारी कब्जों को हटवाये जाने के सम्बन्ध में।

निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा मुद्रित।